

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश 12366 /2021

दिनांक 27.10.2021

श्रीमती देवांगिनी औदित्य (RJ0895), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अजमेर को दिनांक 08.11.2021 से 12.11.2021 तक 05 दिनों का तर्जित अवकाश दिनांक 03.11.2021 से 07.11.2021 एवं 13.11.2021 से 14.11.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती औदित्य की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अजमेर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से
27.10.2021
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/66/2015/6110

दिनांक 27.10.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर को उनके पत्रांक 27151 दिनांक 01.10.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती देवांगिनी औदित्य (RJ0895), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अजमेर।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अजमेर।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर।

सहायक रजिस्ट्रार